

— अकबर खां / सरकार 0/5-136

703/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

कमांक : राजस्व/2025/ 724

दिनांक : 21/12/2025

2025/858

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिन्धीपुरा भूअभिलेख निरीक्षक पीपाड़ शहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सर्वे आधार संवत् 2081 में खाता संख्या 610 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिन्धीपुरा	610	अकबरखां पुत्र मोहम्मदखां सफीमोहम्मदखां पुत्र मोहम्मदखां	अकबर खां पुत्र मेहमूद खां सफरू खां पुत्र मेहमूद खां

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

दिनांक :- 21/12/2025

कमांक :-सम/2025/725 to 726

प्रतिलिपि :-1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. हल्का पटवारी सिन्धीपुरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत